न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 84/2018

अनवान :

1. केसरीचन्द पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. हरदेई पत्नी प्रभुराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. मायावती पुत्री प्रभुराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. अजीतसिंह पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सरोज पत्नी देशराज जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. सुमेरसिंह } पुत्र/पुत्री स्व0 देशराज नाबालिगान जरिये माता सरोज पत्नी
6. ज्योति } स्व0देशराज जाति जाट निवासीगण डाबडी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 14.5.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 56/55 के खसरा सं0 243/2 की 0.986 है0 बारानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 3 तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 के पति व पिता देशराम के नाम से बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा रतनपुरा के खाता सं0 93/93 के खसरा सं0 19 की 7.246 है0 खसरा सं0 31 की 1.214 है0 कुल 8.460 है0 बारानी खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 3 तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 के पति व पिता देशराज के नाम से 4.230 है0 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादी के पिता प्रभुराम की खातेदारी हुआ करती थी। प्रभुराम के देहान्त होने पर वादभूमि वादी एवं वादी के भाई प्रतिवादी अजीतसिंह, देशराज, माता हरदेई एवं बहन मायावती को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी। वादी के पिता के बाहरवे के दिन ही प्रतिवादी मायावती ने प्रभुराम से जो हिस्सा उसे विरासतन में प्राप्त हुआ था, उसे वादी एवं वादी के भाईयों अजीतसिंह व देशराज तथा वादी की माता हरदेई के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर प्रभुराम से उक्त भूमि विरासतन दर्ज होते समय वादभूमि वादी एवं वादी के भाई देशराज, अजीतसिंह व माता हरदेई के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार दर्ज हो गया था।

सहायक कल- (फा.ट्रै.) भादरा (हनु.)

आज से करीब 3 वर्ष पूर्व वादभूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 के पति व पिता के बीच पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी हरदेई ने भी अपने नाम दर्ज भूमि को वादी एवं वादी के भाईयों अजीतसिंह व देशराज के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादी एवं उसके भाईयों की कब्जा काश्त शुरू हो गई थी। वादी के भाई देशराज का आज से करीब 2 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया था जिस पर देशराज के हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गया जिसका अभी विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया है। उक्त भूमि का कब्जा काश्त मुताबिक पारिवारिक सैटलमेन्ट चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी हरदेई एवं मृतक देशराज के नाम से दर्ज चला आ रहा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 केसरीचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डाबडी के खाता सं0 56/54 सम्वत् 2071–74 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम रतनपुरा के खाता सं0 93/93 सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 2, वहीस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मायावती व हरदई ने अपना हिस्सा खाते के सहखातेदारान अपने परिजनों को तर्क अपने हक हिस्सा शुन्य कर लिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रतनपुरा व डाबडी में दर्ज भूमि में अन्य सहखातेदारान द्वारा तर्क किये गये हिस्सों की घोषणा करवाकर खाता दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है। सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डाबडी के खाता सं0 56/54 सम्वत् 2071–74 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम रतनपुरा के खाता सं0 93/93 सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 2 के अवलोकन करने पर न्यायालय के समक्ष यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि उसमें प्रतिवादीया सं0 2 मायावती का नाम नहीं है। पूर्व में किस इंतकाल के द्वारा प्रभुराम के वारिसान के नाम वादभूमि का इन्द्राज किया गया उसका वाद, राजीनामा में कहीं भी उल्लेख नहीं है। दावा में हरदेई के नाम दर्ज भूमि के हकत्याग व देशराज के वारिसान के नाम विरासतन इंतकाल का बिन्दु विचारणीय है। उक्त दोनों बिन्दु न्यायालय तहसीलदार भादरा के क्षेत्राधिकार में आते है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में अभिधारियों को उतराधिकार का विधिक प्रावधान किया गया है व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 में उतराधिकार तथा कब्जे के अन्तरण की सूचना व धारा 135 में सूचना मिलने पर प्रक्रिया का प्रावधान

तहसीलदार (हनु.)

किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकरण में प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार न्यायालय तहसीलदार भादरा का है क्योंकि प्रकरण विरासतन उतराधिकार व हक त्याग से सम्बन्धित है जिसका अनुतोष न्यायालय तहसीलदार भादरा देने में सक्षम है, इसलिए उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18.7.18 को न्यायालय तहसीलदार भादरा के समक्ष उपस्थित होवें।

पत्रावली तहसीलदार भादरा को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान द्वारा हक त्याग किये गये हिस्सा पर राज्य सरकार द्वारा नियत की गई स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क वसूल कर ही रिकार्ड में तदनुरूप इन्द्राजात करें। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)